

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
 प्रकरण संख्या 253/2021 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
 ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्वनाम ए यू फाइनेन्सर (इंडिया) लिमिटेड) पता-19-A, धुलेरवर
 गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स नाथी ब्रिक्स कम्पनी प्रो० सरदीप धनकड
 पता-नारायणपुरा रोड, ग्राम व पोस्ट भांकरी, तहसील कोटपूतली, जयपुर।
 दूसरा पता-11, खाती कुम्हारों का मोहल्ला, ग्राम भांकरी, तहसील कोटपूतली, जयपुर।
2. श्री सरदीप धनकड पुत्र श्री शिवराम धनकड
 पता-11, खाती कुम्हारों का मोहल्ला, ग्राम भांकरी, तहसील कोटपूतली, जयपुर।
3. श्री शिवराम धनकड पुत्र श्री चन्द्रराम धनकड
 पता-वार्ड न० 4, ग्राम भांकरी, तहसील कोटपूतली, जयपुर।
4. श्री कुलदीप धनकड पुत्र श्री शिवराम सिंह धनकड
 पता-वार्ड न० 4, ग्राम भांकरी, तहसील कोटपूतली, जयपुर।

अप्रार्थीगण
 ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitisation and
 Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
 Interest Act.2002

उपस्थित श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 22.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.02.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री शिवराम धनकड के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नं० 60, मिसल न० 608, ग्राम पावटा, ग्राम पंचायत पावटा, पंचायत समिति विराटनगर, जिला जयपुर, राज० क्षेत्रफल 169.56 वर्गगज को बन्धक एवं Movable Assets - Hypothecation on current Assets and Movable Fixed Assets both present and future of M/s Nathi Bricks Company, की हाईपोथीकेटेड कर कुल 20,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.12.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक

जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय बैंक को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 20,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 18,05,088/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.12.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री शिवराम धनकड के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पट्टा न0 60, मिसल न0 608, ग्राम पावटा, ग्राम पंचायत पावटा, पंचायत समिति विराटनगर, जिला जयपुर, कुल क्षेत्रफल 169.56 वर्गगज एवं Movable Assets - Hypothecation on current Assets and Movable Fixed Assets both present and future of M/s Nathi Bricks Company की हाईपोथीकटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
8. आदेश आज दिनांक 22.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर